2.1

परियोजना का नामः– प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत रिखाड़ी–वाछम मोटर मार्ग के किमी0 40 से कुवारी तक मोटर मार्ग निर्माण।

प्रतिवेदन

जनपद बागेश्वर में विकासखण्ड कपकोट के 250 से अधिक जनसंख्या वाली बसावट कुवारी (CC,001042400,H 123, Pop-272) बसावट को प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना मे मोटर मार्ग से संयोजित किये जाने हेतु सचिव ग्राम्य विकास विभाग उत्तराखण्ड शासन देहरादून के कार्यलय ज्ञाप संख्या 1760/P3-14/URRDA/09 दिनांक 14.12.2009 द्वारा जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र, कपकोट के अन्तर्गत रिखाड़ी–वाछम मोटर मार्ग के किमी0 40 से कुवारी तक 10.00 कि.मी. लम्बाई हेतु (प्रथम चरण– यथा सर्वेक्षण, वनभूमि की स्वीकृति आदि कार्यों हेतु) प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। वास्तविक सर्वेक्षण के अनुसार मोटर मार्ग की कुल लम्बाई 23.40 किमी0 आती है। भारत सरकार से वन भूमि स्वीकृति उपरान्त राज्य सरकार द्वारा मोटर मार्ग निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृत की जायेगी।

कोर नेटवर्क में कुवारी को रिखाडी से वाछम मोर्टर मार्ग सख्या **L044** से संयोजित होना दर्शाया गया है। कुवारी बसावट भौगोलिक परिस्थितियों के कारण किसी भी मोर्टर मार्ग से नहीं जुडा है। प्रस्तावित समसेरण के अनुसार कुवारी बसावट रिखाडी वाछम मार्टर मार्ग के कि0मी 40 से संयोजित होना दर्शाया गया है।

विधान सभा कपकोट का लगभग 20 कि0मी0 में फैला कुवारी क्षेत्र दूरस्थ मे होने से यातायात की दृष्टि से काफी पिछड़ा है। वन क्षेत्र के मध्य में स्थित ग्राम कुवारी की कुल (जनसंख्या (300) अभी तक किसी भी मोटर मार्ग से नहीं जुड़ा है। वन क्षेत्र के निकट का ग्राम होने एवं यातायात की सुविधा के अभाव में स्थानीय जनता अपने दैनिक उपयोग के लिए वनों पर आश्रित रहती है जिस कारण प्रतिवर्ष काफी संख्या में वृक्षों का पातन होता हैं। इस मोटर मार्ग का निर्माण हो जाने से स्थानीय जनता को परिवहन एवं यातायात की सुविधा के साथ ही गैस प्राप्त करने में सुविधा होगी जिससे जंगलों को बचाने में भी मदद मिलेगी। ग्राम कुवारी में एक प्राइमरी विद्याालय हैं, आने जाने की कठिनाई के कारण कोई भी अध्यापक योगदान नहीं करना चाहते जिससे प्रारम्भिक शिक्षा की स्थिति में सुधार नहीं हो पा रहा है। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र का शिक्षा, चिकित्सा एवं अन्य व्यवसाय का मुख्य केन्द्र कपकोट हैं। मोटर मार्ग निर्माण होने से बच्चों को विध्यालय आने जाने में सुविधा होगी जिससे बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन मिलेगा। मोटर मार्ग निर्माण हेतु न्यूनतम आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 9 मीटर चौड़ाई में ही भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावित किया गया है जिसमें अवशेष मलवा निस्तारण हेतु प्रस्तावित स्थलों को सम्मिलित करते हुए कुल 19.084 है0 वन भूमि एवं विभिन्न प्रजाति वं व्यास के कुल 782 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। यह क्षेत्र बॉज एवं अन्य प्रजाति का बाहूल्य क्षेत्र है। उल्लेखनीय है कि जनपद बागेश्वर में लगभग 71 प्रतिशत भू–भाग वनाछादित है। जनहित में बुनियादी ढांचे के विकास, पर्यटन को बढ़ावा देने, वनों की सुरक्षा, पहाड़ी क्षेत्र से पलायन रोकने, आपदा के समय प्रभावितों को त्वरित सहायता उपलब्ध कराने हेतु वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध कराने एवं स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन हेतु वन भूमि के उपयोग के अलावा और कोई विकल्प नहीं हैं। अतः उपरोक्त कारणों से इस मोटर मार्ग का निर्माण वन भूमि में प्रस्तावित किया गया है जो अपरिहार्य एवं औचित्यपूर्ण है।

इस मार्ग के निर्माण हेतु 2 संरेखणों पर विचार किया गया है जिन्हें प्रस्ताव में संलग्न गुगल मानचित्र में अलग–अलग रंग से दर्शाया गया है। साथ ही 1:50000 पैमाने के इन्डैक्स मानचित्र एवं डिजिटल मानचित्र में भी प्रस्तावित स्वीकृत संरेखण को दर्शा कर प्रस्ताव में लगाये गये हैं।

संरेखण नं0 1 जो लाल रंग से दर्शाया गया है, के अनुसार मोटर मार्ग का निर्माण रिखाडी से वाछम मोटर मार्ग के 40 कि0मी0 से प्रस्तावित किया गया है। इसके अनुसार सम्पूर्ण लम्बाई में सिविल सोयम एवं वन पंचायत भूमि एवं बीच बीच में नाप भूमि आती है। इस संरेखण से अधिक आवादी लाभान्वित होती है। बैन्ड कम आते हैं एवं वृक्ष कम प्रभावित होते हैं। मानकों के अनुसार सही ग्रेड मिलता है। इस संरेखण से सभी ग्रामवासी सहमत है।

संरेखण नं0 2 जो हरे रंग से दर्शाया गया है, के अनुसार मोटर मार्ग का संरेखण प्रथम संरेखण के अनुसार ही रखा गया है जिसमें अधिक वृक्ष प्रभावित होते हैं। इसके अनुसार मोटर मार्ग निर्माण करने में मानको के अनुसार ग्रेड न मिलने, संरेखण में मकान आने से भूवैज्ञानिक द्वारा भी इसे निरस्त किया गया हैं।

इन दोनों संरेखणों का भूवैज्ञानिक द्वारा भी निरीक्षण किया गया है एवं उनके द्वारा संरेखण नं. 1 को मोटर मार्ग निर्माण हेतु तकनीकी, पर्यावरणीय एवं भूगर्भीय दृष्टि से उपयुक्त पाया गया है। अतः 23.40 कि.मी. लम्बाई में प्रभावित होने वाली 19.084 है0 वन भूमि का गैरवानिकी कार्य हेतु प्रत्यावर्तन एवं ग्रामीण निर्माण विभाग को हस्तान्तरण तथा 782 वृक्षों के पातन की स्वीकृति प्रदान करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत यह प्रस्ताव प्रेषित् किया जा रहा है। भविष्य में इस मार्ग के निर्माण हेतु और वन भूमि की आवश्यकता नहीं होगी।

सहायक अभियंता
Assistant Engineer
R.W.D. PMGSY
Kapkot (Bageshwar)

अधिशासी अभियंता
Executive Engineer
R.W.D. PMGSY
Kapkot (Bageshwar)